न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 36 / 2019 **दायरा दिनांक : 18 / 03 / 2019**

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र प्रभूलाल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
2. दौलतराम पुत्र प्रभूलाल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
3. चौथमल पुत्र प्रभूलाल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
4. कमल पुत्र प्रभूलाल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
5. सत्तू पुत्र दौलतराम, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
6. हनुमान पुत्र चौथमल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
7. पप्पू पुत्र शंकरलाल, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
8. कालूलाल पुत्र मूलचंद, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
9. बाबूलाल पुत्र मूलचंद, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां
10. मन्नालाल पुत्र मूलचंद, जाति माली, निवासी माथना चौराहा मांगरोल रोड़ बांरा, तहसील बांरा जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

मोहम्मद शाहिद आत्मज श्री इश्हाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां तहसील व जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 08.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 85/2015 निर्णय दिनांक 10.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय विधि के सुस्थापित सिद्वातों के विपरीत होने एवं रिकार्ड पर उपलब्ध साक्षियो को नजरअन्दाज किए जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के विपरीत जाकर सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी से सबंधित पूर्व में चल रहे वाद के स्पष्ट प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध होने एवं दौरान विचारण पूर्व वाद शीर्षक दौलतराम बनाम विष्णुदत्त के प्रकरण संख्या 100/2009 न्यायालय एस0डी0ओ0 बारां में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट निर्णय दिनांक 13/06/2012 में प्रतिवादी/अपी0 कम 2 दौलतराम पुत्र भूरा के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये जाने एवं उक्त आदेश को यथावत राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 13/05/2015 को यथास्थिति मौका रिकार्ड आगामी सुनवायी तक बनाये रखने के आदेश के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध होने पर भी रेस्पो0 वादी द्वारा दौराने अस्थायी निषेधाज्ञा किये गये क्रय के आधार पर रिकार्डेड खातेदार होना मानकर रेस्पो0 के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में भारी भूल की है जो विधि के सुस्थापित सिद्वातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी पूर्व वाद दौलतराम बनाम विष्णुदत्त में अप्रार्थी कम 4 ता 12 से दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा सन 2015 मे खरीद की जाकर न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए अपना नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया गया है। जिसे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा ना मानकर एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करना विधि विरूद्ध मानकर आदेश पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलान्ट व उनके पूर्वज विवादित आराजी पर सम्वत 1997–2000 से बतौर उप–कृषक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं एवं रिकार्ड पर उपलब्ध पूर्व वाद में आयी साक्ष्य एव राजस्व रिकार्ड से अपीलान्टस का

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रथम दृष्टया कब्जा प्रमाणित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजर अंदाज किया जाकर अपीलीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्तनीय है। वादी/रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजी दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा जिन खातेदारो से क्रय की गई है उनके एवं अपीलांट/प्रतिवादी के मध्य पूर्व में चल रहे वाद से वादी/रेस्पो0 पूर्णतया पाबन्द होने के कारण उक्त कार्यवाही रेसजूडिकेटा के प्रभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में चल रहे वाद के अंतर्गत अपीलान्टस के पक्ष के किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को नजरअंदाज कर अपीलांटस के विरूद्व रेस्पो0 के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में भारी भूल की है जो राजस्व मण्डल के पूर्व के आदेश के प्रभावी रहते हुए निष्प्रभावी होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पो0/वादी द्वारा वाद विधि के सुस्थापित सिद्वातों के विपरीत बिना समस्त सह–खातेदारो को पक्षकार बनाये एवं बिना अपने हिस्से की आराजी का निर्धारण किये सरसरी तौर पर दावा पेश किया है जिसकी पालना न होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट/अप्रार्थीगण उक्त आराजी विवादग्रस्त पर विगत 100 वर्षो से अपने पूर्वजो के समय से आराजी पर काबिज होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। रेस्पो0/वादी द्वारा बिना वाद कारण उत्पन्न हुए आराजी विवादग्रस्त की कीमत बढ जाने से मन मे बदनियत आ जाने के कारण उक्त कार्यवाही अमल मे लायी गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0/वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी का क्रय दौराने अस्थायी निषेधाज्ञा किया गया है जिस कारण उक्त बेचान ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के लिसपेंडेंट सिद्वांत से ग्रसित होने से विधि की नजर मे शून्य होने के कारण रेस्पो0/वादी को वाद लाने का कोई अधिकार कानूनन प्राप्त होने से उक्त आदेश खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा जवाब 212 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कोस आब्जेक्शन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार किये बिना एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का उचित निस्तारण किये बिना अपीलीय आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। आदेश की नकल हेतु दिनांक 28/02/2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 6/3/2019 को 6 दिन विलम्ब से नकल प्राप्त होने से उक्त विलंब अपील अवधि से मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस/अप्रार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 10/01/2020 निरस्त फरमाया जावे।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी माफी में दी गई है । वादग्रस्त आराजी उनके वंशजों द्वारा बेचान कर दिया है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में ही दावे में चल रही है । रेस्पोडेंट ने गलत आरोप लगाये । अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया । स्थगन आदेश को निरस्त करें जो उपखण्ड अधिकारी बांरा ने दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2019 विधिपूर्वक होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2019 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा